संख्या: 304/2016/1162 /35-4-2016

प्रेषक,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 23 अगस्त,2016**

विषय- **वित्तीय वर्ष 2016-17 में छठी आर्थिक गणना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 1010/ले0-28/2010, दिनांक 03.08.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा छठी आर्थिक गणना, 2012 के अवशेष देनदारियों के निस्तारण हेतु रू0 15,00,000/- (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- प्रश्नगत योजना के क्रियान्यन हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या: N-11016/26/2011/ESD-VIEC, दिनाक 10.05.2016 द्वारा वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु अवशेष बची धनराशि रू0 15,00,000/- (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) को वर्ष 2016-17 में व्यय किये जाने हेतु नवीनीकृत कर दिया गया है, जिसके क्रम में आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या: 496/ले0-28/2010, दिनांक 16.06.2016 द्वारा पुनर्विनियोग का प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त शासन के पत्र संख्या: 463/पैतीस-4-2016, दिनांक 29.07.2016 द्वारा अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक "3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-छठी आर्थिक गणना का क्रियान्वयन (के./रा. के. 100 प्रतिशत) के अन्तर्गत मानक मद 07-मानदेय एवं 18-प्रकाशन में क्रमश: रू0 9,00,000/- एवं 6,00,000/-, कुल रू0 15,00,000/- की बजट व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से करायी गयी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग से प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त छठी आर्थिक गणना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष् 2015-16 में व्यय हेतु अवशेष बची धनराशि को रू0 15,00,000/- को वर्ष 2016-17 में व्यय किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा नवीनीकृत किये जाने के फलस्वरूप रू0 15,00,000/- (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित मदों के अनुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रम संख्या	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि (रूपये में)**
1	07-मानदेय	9,00,000/-
2	18-प्रकाशन	6,00,000/-
	योग	**15,00,000/-**

(रू0 पन्द्रह लाख मात्र)

4- यह स्वीकृति वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गई है, जिसका कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

5- स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मद के समक्ष अंकित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) अन्य किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। अत: व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासन/अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पूर्व प्रत्येक दशा में शासन/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6- स्वीकृत धनराशि का आहरण संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा तथा आहरित धनराशि को पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।

7- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8- स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

9- इस संबंध में होनेवाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक "3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-छठी आर्थिक गणना का क्रियान्वयन (के./रा. के. 100 प्रतिशत) के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में दिये गये निर्देश के क्रम में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव।

संख्या: 304/2016/1162 (1)/35-4-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व दवितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व दवितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थर्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. निदेशक (ईएसडी), भारत सरकार साख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रांलय, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 25 के0जी0मार्ग, नई दिल्ली-110001
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
7. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
8. नियोजन अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।